विशिष्टताएं

भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखाओं पर है जो वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार (भा.स.) के वित्त तथा विनियोग लेखाओं का विश्लेषण करता है।

अध्याय-1

- सीआईएसएफ ने ₹ 329 करोड़ (दिसम्बर 2017 तक) के प्रतिभूति जमा/अग्रिम को मुख्य शीर्ष-0055 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जिससे सरकार की देयता को कम बताया गया जैसा लोक लेखे में जमा शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(पैरा 1.2 (ख))

अध्याय-2

- 36 मुख्य शीर्षों में, कुल ₹ 11,801 करोड़ के कुल व्यय तथा प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियां के अतंर्गत अभिलेखित किया था जिसने लेखे को अपारदर्शी बनाया।

(पैरा 2.2)

- माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के अंतर्गत एकत्रित ₹ 94,036 करोड़ को प्रक्रिया के विपरीत इस प्रायोजन हेतु सृजित निधि के बजाय भारत की समेकित निधि में रखा गया था।

(पैरा 2.3 (ग))

अध्याय-3

- 2017-18 के दौरान विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत कुल सकल बचत (आधिक्य पर ध्यान दिए बिना) ₹ 2,50,228 करोड़ (कुल प्राधिकरण का 2.77 प्रतिशत) थी। कुल बचत में से, ₹ 2,47,227 करोड़ (कुल बचत का 98.80 प्रतिशत) की ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत 54 अनुदानों के 72 खण्डों में थी।

(पैरा 3.3)

- 2017-18 के दौरान, 15 अनुदानों के 18 मामलों में संपूर्ण नकद अनुपूरक अप्रयुक्त रहा। ₹ 11,017 करोड़ के नकद अनुपूरक वाले 11 ऐसे मामलों में, वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था।

(पैरा 3.4)

- 2017-18 के दौरान ₹ 1,156.80 करोड़ का अधिक व्यय संसद का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया क्योंकि वित्त मंत्रालय ने नई सेवा/सेवा का नया साधन के संबंध में एक उपयुक्त तंत्र स्थापित नहीं किया।

(पैरा 3.7)

- दो दृष्टांतों में, वित्त मंत्रालय ने वस्तु शीर्ष 'गुप्त सेवा व्यय' के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाने के लिए पुनर्विनियोजन आदेश की सहमति प्रदान करने से पूर्व सीएजी के पूर्व अनुमोदन के संबंध में अपने स्वंय के अनुदेशों का उल्लंघन किया।

(पैरा 3.10)